

पीसीडीए (पी)

1. सभी निवारण एजेंसियों के द्वारा सभी शिकायतों को समय से जवाब देना एवं उन पर निगरानी रखना।
2. ईएक्सएसएम समुदाय के वेलफेयर को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों/समुदायों का विश्लेषण करें एवं एमओडी के साथ उन्हें आगे बढ़ाएं।
3. ईएक्सएसएम रैलियों/वेबसाइट/सेमीनार/सोशल मीडिया के जरिए ईएक्सएसएम समुदाय तक पहुंच बनाएं।
4. ईएक्सएसएम के वेलफेयर से संबंधित नीति-निर्देश एवं जानकारी को एकत्रित करें, मिलान करें व उनका प्रसार करें।
5. अन्य सेवाओं के अनुभवी वेलफेयर संगठन के साथ नजदीकियां बढ़ाएं,
6. वेबसाइट के जरिए ईएक्सएम डाटाबेस बनाए और बनाए रखें।